पत्र संख्या–१३/वि०मं०–५३/२०२३ सा०–424/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सत्यम सहाय,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना ।

पटना–१५, दिनांक – 16 नवम्बर, २०२३

विषय – मा० श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 205 वें सत्र में प्रस्तुत किए गये ऑनलाईन निवेदन संख्या–०१/२०५/९० के हस्तांतरण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक बिहार विधान परिषद् सचिवालय के बेवसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन निवेदन संख्या–१/२०५/९० द्वारा इस विभाग के लॉगिन में प्राप्त है । आलोच्य निवेदन का विषयवस्तु "श्री सुजीत कुमार उर्फ लाठी सिंह, पिता–श्री छोटन सिंह, सा०–पो०–लहसुना, थाना–मसौढ़ी, जिला–पटना, जो मसौढ़ी थाना कांड संख्या–७३/२००४, सत्रवाद संख्या–१०७४/२००४ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मृत्युदंड से संशोधित आजीवन कारावास के सजा प्राप्त बंदी है । इन्हें असमय कारा मुक्ति हेतु अद्यतन सत्यापन प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा/मंतव्य के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक संख्या–६१५४/६१० दिनांक–१६/११/२०२२ द्वारा आदर्श केन्द्रीय कारा, वेउर को असमय मुक्ति के लिए अनुशंसा किया गया था । परन्तु पूर्व के नियम का हलावा देकर अस्वीकृत कर दिया गया है, परन्तु इस तरह के केस में अन्य लोगों को मुक्त किया गया है । अतः मानवता के आधार पर उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए ।" उक्त निवेदन की मूल प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

अनुरोध है कि उक्त निवेदन का उत्तर बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय तथा इसकी प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाए। इस आशय की सूचना बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को दी जा रही है ।

अनु०–यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

16/11/23

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–५३/२०२३ सा०–424/पटना–१५, दिनांक 16 नवम्बर २०२३

प्रतिलिपि–प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना के वेबसाईट से प्राप्त ऑन–लाईन निवेदन संख्या–१/२०५/९० के क्रम में प्रेषित तथा अनुरोध है कि उक्त निवेदन को सामान्य प्रशासन विभाग, पटना की सूची से विलोपित कर गृह विभाग (कारा), बिहार, पटना की सूची में रखने की कृपा की जाय ।

2. उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

16/11/23

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

ज्ञापांक–१३/वि०मं०–५३/२०२३ सा०–424/पटना–१५, दिनांक 16 नवम्बर, २०२३

प्रतिलिपि – आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

16/11/23

विशेष कार्य पदाधिकारी

संख्या: 1/205/90
सूचना प्राप्ति दिनांक: 09/11/2023
पावती समय: 06:57 PM

निवेदन (नियम-289)

विषय :- सजा मुक्त कराने के संबंध में।
मंत्री:- नीतीश कुमार
प्रश्नोत्तर दिनांक स्वीकृत अवस्था में:- 05/08/2023
प्राथमिकता, यदि कोई हो:-

प्रेषक:
श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह(146) , सदस्य

सेवा में:
सचिव

पटना

महोदय,
क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे :

•श्री सुजीत कुमार उर्फ लाठी सिंह, पिता- श्री छोटन सिंह, सा-पो०- लहसुन, थाना- मसौढ़ी, जिला- पटना, जो मसौढ़ी थाना कांड संख्या- 73/04, सत्रवाद संख्या- 1074/04 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मृत्युदण्ड से संशोधित आजीवन कारावास के सजाप्राप्त बंदी है। उन्हें असमय कारा मुक्ति हेतु अद्यतन सत्यापन प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा/मंतव्य के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के ज्ञापांक संख्या 6154/610, दिनांक 16/11/22 द्वारा आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर को असमय मुक्ति के लिए अनुशंसा किया गया था। परन्तु पूर्व के नियम का हवाला देकर अस्वीकृत कर दिया गया है परन्तु इस तरह के केस में अन्य लोगों को मुक्त किया गया है। अतः मानवता के आधार पर उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए।

भवदीय
श्री रविन्द्र प्रसाद सिंह(146)
सदस्य
09/11/2023 06:57 PM

This document is computer generated and signature is not required.

कार्यालय प्रयोग हेतु

10 NOV 2023
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद

10.11.23

12.09
10/11/23
D.No-6187/2110-13
13/11/23